

इस विभाग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का अधिप्रापण अधिकतर जीईएम (जैम) पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। जीईएम के माध्यम से उपलब्ध न होने वाली वस्तुओं और सेवाओं को केंद्रीय अधिप्रापण पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाता है। सभी अधिप्रापण सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार किए जाते हैं।